छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 184 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2023-02319**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध '' कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स'', प्रमोटर– छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, सी.पी.डी.–01, द्वारा–कार्यपालन अभियंता, पता–पंचम तल कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–'' कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स '' पता–डूमरतराई, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
27/03/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स एट सरदार वल्लभ'' पंजीयन क्रमांक– **PCGRERA290520001114** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 29.05.2020 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 30.09.2022 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रार, छ..ग द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 14.12.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 11.03.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुये किया गया है कि योजना के पंजीयन से संबंधित समस्त जानकारियां अद्यतन इस संभाग कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, संभाग–2 को प्राप्त यूजन आई.डी. एवं पासवर्ड में लॉगिन करने से उक्त योजना का विवरण दर्शित नहीं हो रहा है, जिसके कारण रेरा के वेबपोर्टल के डेशबोर्ड में योजना की जानकारी अद्यतन नहीं किया जा सका है। उक्त योजना की पूर्णता प्रमाण पत्र दिनाँक 09.09.2020 को जारी किया जा चुका है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 184 प्रकरण क्रमांक –SM-EXP-2023-02319

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध '' कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स'', प्रमोटर– छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, सी.पी.डी.–01, द्वारा–कार्यपालन अभियंता, पता–पंचम तल कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–'' कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स '' पता–डूमरतराई, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से दिनाँक 09.09.2020 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। अतः प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	